उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या : 707 –विनियम एवं काविनी–29/पाकालि /24–9–विनियम/24 दिनांक:२५ अगस्त, 2024

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल के कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में पूर्ववर्ती परिषदादेश सं0–1313/ए0/राविप(ख)–600/1960 दिनांक 04.02.1972 एवं सपठित आदेश सं0–3843जी/रा0वि0प0–600/1960 दिनांक 28.06.1977 को यथा संशोधित करते हुए एतदद्वारा यह आदेशित किया जाता है कि बाह्य पदों के लिये कारपोरेशन के कार्मिकों के आवेदन पत्रों का निस्तारण निम्नानुसार किया जायेगा :–

(अ) कारपोरेशन के स्थायी कर्मचारियों के आवेदन–पत्रों का निस्तारण

(i) **(क)** किसी भी स्थायी कर्मचारी के सम्पूर्ण सेवा–काल में बाहरी पदों के लिए प्रतिवर्ष दो *(02)* से अधिक आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं किए जायेंगे।

(ख) गैर–सरकारी क्षेत्र में किसी पद के लिए आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं किये जायेंगे।

(ग) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं सहयोगी वितरण निगमों, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, एस0एल0डी0सी0 एवं उ0प्र0 रिनिवेबल एवं ई0वी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 द्वारा विज्ञापित पदों के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। अन्य समस्त संस्थाओं द्वारा विज्ञापित पदों को बाहरी पदों की श्रेणी में समझा जायेगा।

(ii) यदि आवेदनकर्ता स्थायी राजपत्रित कर्मचारी है तो उसे आवेदन पत्र देने की सुविधा अप्राविधिक तथा प्राविधिक सेवा पद के लिए निम्नांकित आयु सीमा तक उपलब्ध रहेगा :–

अप्राविधिक सेवापद के लिए .... 40 वर्ष तक।
प्राविधिक सेवापद के लिए .... 45 वर्ष तक।

(क) यदि किसी बाहरी सेवापद के लिए संघ लोक सेवा आयोग एवं अन्य द्वारा जारी किये गये विज्ञापन में आयु सीमा 40–45 वर्ष से अधिक निर्धारित हो तो उसके लिए दिये गये आवेदन पत्रों के गुणावगुण पर विचार कर आयु–सीमा के प्रतिबन्ध में छूट दी जा सकेगी।

(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों हेतु निर्धारित आयु सीमा में नियमानुसार छूट अनुमन्य होगी।

(iii) उपरोक्त आदेश कारपोरेशन के केवल उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होगी जो अपने पदों पर स्थायी है। यदि किसी स्थायी अराजपत्रित कर्मचारी की किसी राजपत्रित पद पर अस्थायी नियुक्ति हो तो उसे इस आदेश के प्रयोजन के लिए अराजपत्रित ही माना जायेगा और उपरोक्त पैरा (अ)(ii) के आदेश उस पर लागू नहीं होंगे।

(iv) स्थायी कर्मचारी के बाह्य सेवा पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, उनकी बाह्य सेवा पर नियुक्ति हो जाने तथा बाह्य पद पर कार्यग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस शर्त के साथ अग्रसारित किये जायेंगे कि वे कारपोरेशन की सेवा से अपना विधिवत् त्यागपत्र देंगे तथा तदुपरान्त उनका कारपोरेशन सेवा में धारणाधिकार (Lien)/दावा नहीं रहेगा।

(v) बाह्य सेवा पर नियुक्ति हेतु अवमुक्त ऐसे कर्मचारी का इस स्थिति में भी भविष्य में उस पद पर जिस पद पर वह स्थायी रूप से नियुक्त था वापस लेने का कोई प्रश्न नहीं होगा। यह शर्त बाह्य सेवा पर नियुक्ति हेतु भेजे गये आवेदन पत्रों पर ही लागू होगा।

(vi) कारपोरेशन, लोक हित में किसी कर्मचारी के आवेदन पत्रों के अग्रसारण को सक्षम अधिकारी अपने विवेकानुसार रोक सकता है।

क्रमशः..............02

(ब) *अस्थायी कर्मचारियों के आवेदन पत्रों का निस्तारण*

(i) साधारणतया अस्थायी कर्मचारियों के आवेदन पत्र बाहरी सेवा के लिए अग्रसारित किए जायेंगे। अग्रसारित करते समय इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए कि कर्मचारी कारपोरेशन में अस्थायी पद पर नियुक्त है और पद का वर्णन व वेतन क्रम को भी स्पष्ट कर देना चाहिए।

(ii) यदि उक्त कर्मचारी आवेदित पद के लिए चुन लिया जाता है और कारपोरेशन की सेवाओं को छोड़कर बाहरी सेवा में वह जाना चाहता है तो, लिखित प्रार्थना–पत्र/त्यागपत्र पर उसे सेवाओं से मुक्त किया जायेगा। परन्तु यदि कोई Indemnity bond उन पर लागू है तो लागू शर्तो को पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

(iii) ऐसे मुक्त किये गये कर्मचारियों को भविष्य में किसी भी समय उस पद पर वापिस लेने का कोई प्रश्न नहीं होगा जिस पद पर मुक्ति से पूर्व वह नियुक्त था। ऐसे कर्मचारियों का कारपोरेशन सेवा में धारणाधिकार (Lien)/दावा नहीं रहेगा।

(iv) गैर सरकारी क्षेत्र में किसी पद के लिए किसी स्थायी कर्मचारी का आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं किया जायेगा। केवल अस्थायी कर्मचारियों का ही अग्रसारित किया जायेगा।

अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0

संख्या : 707–(1)–विनियम एवं काविनी–29/पाकालि/24 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, समस्त विद्युत वितरण निगम एवं केस्कों के निजी सचिव।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ
11. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
12. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
13. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को निदेशक मण्डल का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के आशय सहित प्रेषित।
14. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(प्रभात सहगल)
उप सचिव (काविनी एवं विनियम)